लिए किन-किन विभागों को आदेश जारी किये गये थे तथा उन विभागों द्वारा इन आदेशों पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या कपड़ा मिल मजदूरों के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के लिए संबंधित विभागों को कोई आदेश दिये जायेंगे ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) गुजरात सरकार ने वस्त्र उद्योग पर त्रिपक्षीय समिति की रिपोर्ट संघ सरकार को दिनांक 22-6-1988 को प्रस्तुत की । समुचित कार्रवाई करने के लिए त्रिपक्षीय समिति के सुझावों पर विचार किया गया । कुछ मामलों में उन पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी जबकि कुछ अन्य मामलों में उन्हें स्वीकार्य नहीं पाया गया है । अन्य मंत्रालयों से सम्बन्धित सिफारिशों पर सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ मिलकर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाई की गयी है । कुछ मामलों में राज्य सरकार को स्वयं ही कार्रवाई करनी है ।

(ख) उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में कुछ शर्तों के अध्यधीन प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना की अनुमति के लिए स्थान निर्धारित सम्बन्धी प्रतिबंधों में छूट दी है ।

(ग) मिलों के बंद होने के परिणाम-स्वरूप विभिन्न कारणों की वजह से विस्थापित कामगारों के पुनर्नियोजन के लिए कोई निश्चित समय सीमा बताना कठिन है । वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि स्कीम के अन्तर्गत मिलों के बंद होने के परिणाम-स्वरूप 14-4-1989 तक 1213 कामगारों को पहले ही लगभग 1.63 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है ।

गुजरात की कपड़ा मिलों का पुनरुद्धार

441. **श्री मोर्जा इशदिबेग** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की कपड़ा मिलों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और रुग्ण एककों का पुनरुद्धार करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कितनी-कितनी और किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई है तथा बेरोजगार मिल मजदूरों को कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई और इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाये गये हैं और इस प्रयोजन के लिए अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ख) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रतिदिन कितना आर्थिक बोझ उठाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा भविष्य में क्या-क्या कदम उठाये जाने का विचार है ; और

(ग) त्रिपक्षीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है और उसे किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है और समिति द्वारा इस संबंध में और क्या-क्या कदम उठाये जाने की सम्भावना है तथा कब तक ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) रुग्ण/बंद पड़ी हुई लेकिन संभाव्य रूप से अर्धक्षम वस्त्र मिलों के पुनरुद्धार के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता में शामिल है अर्धक्षम मिलों के लिए पुनर्स्थापना पैकेज, वस्त्र आधुनिकीकरण निधि (सी एम एफ योजना) के अंतर्गत सहायता, वित्तीय रियायतें आदि । 30-11-1988 की स्थिति के अनुसार गुजरात में 31 वस्त्र मिलों की टी एम एफ योजना के अन्तर्गत लगभग 207.71 करोड़ रु० की राशि स्वीकृति की गई है । नोडीय अभिकरण ने गुजरात में अर्धक्षम पायी गयीं 8 वस्त्र मिलों के लिए पुनर्स्थापना पैकेज बनाया है । वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना के अंतर्गत गुजरात में दो मिलों के 1213 कामगारों को लगभग 1.63 करोड़ रु० की राशि अदा की गई । केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता के बारे में जानकारी नहीं है ।

(ख) इसका संबंध राज्य सरकार से है ।

(ग) त्रिपक्षीय समिति की सिफारिश का उपयुक्त कार्रवाही के लिए जांच की गई है कुछ मामलों में उस पर पहले ही कार्रवाही कर ली गई है जबकि कुछ अन्य मामलों में उन्हें स्वीकार्य नहीं पाया गया है। अन्य मंत्रालयों से संबंधित सिफारिशों के मामले राज्य सरकार द्वारा संबंधित मंत्रालयों के साथ उठाये गये हैं। कुछ मामलों में राज्य सरकार को स्वयं कार्रवाई करनी पड़ती है।

हीरों के आभूषणों का निर्यात

442. श्री बीरी इन्द्रसेन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीरे के आभूषणों के निर्यात के संबंध में तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की क्या स्थिति है तथा इस उद्योग से प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में इस उद्योग में कितने-कितने व्यक्ति लगे हुए हैं ;

(ग) इस उद्योग का विकास करने के लिए क्या भावी योजनाएं हैं ; और

(घ) इस उद्योग के व्यापारियों और कारीगरों द्वारा किन-किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पीऊष आर० दास मुंशी) : (क) हालांकि हीरे जड़ित आभूषणों के लिए अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते, फिर भी वर्ष 1988–89 के दौरान अनन्तिम रूप से 163 करोड़ रुपये स्वर्ण आभूषणों का निर्यात होने का अनुमान लगाया गया है जबकि 1987–88 में इनका निर्यात 86 करोड़ रु० का हुआ था।

(ख) राज्यवार अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं फिर भी अनुमान है कि भारत में लगभग 10 लाख प्रमाणत स्वर्णकार हैं।

(ग) और (घ) इस उद्योग में व्यापारियों और शिल्पियों के सामने आ रही समस्याओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :—विदेशी खरीदारों द्वारा कीमती पार्सलों को स्वय ले जाने क अनुमति 15 किग्रा से अनुधिक स्वर्ण/चांदी के आभूषणों को डाक पार्सल से निर्यात करने की अनुमति तथा चांदी के आभूषणों पर मूल्य वर्धन आवश्यकताओं को 25% से घटा कर 20% किया जाना। भारत से हीरे जड़ित और अन्य आभूषणों के निर्यात के क्षेत्र-विस्तार के लिए सरकार ने आभूषणों के निर्यात में वृद्धि हेतु अनेक उपाय किये हैं। इनमें शामिल हैं:– स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम (1968) के अंतर्गत कार्य प्रणाली को सरल बनाना, मूल्यांकन व्यवस्थाओं का सरल और सकरर बनाना, निर्यात विनिर्माण के लिये ऋणों की उपलब्धता में सुधार, भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा स्वर्ण के स्टाक और सप्लाई की व्यवस्था, कार्य-चालनप्रणालियों को सरल और सुकर बनाना इत्यादि। इन उपायों से दीर्घावधि आधार पर आभूषणों के निर्यात में वृद्धि होने की आशा है।

Arms factory unearthed in New Seemapuri, Delhi

443. SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a report which appeared in the Hindustan Times of the 16th March, 1989 to the effect that an arms factory was unearthed in New Seemapuri in Delhi on March 15, 1989; and

(b) if so, what are the details of investigations made into the matter and the arms recovered from the illegal factory?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC